प्रमोद कोहली जे. के समक्ष

मैसर्स वेदसंस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड (परिसमापन में) अशोक आनंद-याचिकाकर्ता

बनाम

मैसर्स वेदसंस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड सीमित (परिसमापन में) और अन्य-प्रतिवादी

सी.पी. संख्या 2007 *की* 123

8th अगस्त, 2008

कंपनी अधिनियम, 1956-एस.446-बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993-एस.एस. 17, 18 और 25-प्रतिवादी कंपनी के खिलाफ कार्यवाही को समाप्त करना-परिसमापन में कंपनी, एक बैंक और अन्य कंपनी के बीच समझौता-दूसरे बैंक द्वारा दायर मुकदमा और डीआरटी को मामला स्थानांतरित करना-रिकवरी अधिकारी परिसमापन में कंपनी से संबंधित संपत्ति को संलग्न करने की मांग करना-नहीं वसूली अधिकारी के समक्ष परिसमापन में कंपनी के खिलाफ कार्यवाही लंबित है और न ही कंपनी प्रतिवादी या निर्णय देनदार है - क्या कंपनी न्यायालय के पास वसूली अधिकारी के समक्ष कार्यवाही में हस्तक्षेप करने और निर्देश जारी करने का अधिकार क्षेत्र है, भले ही परिसमापन में कंपनी की संपत्ति उसके द्वारा निपटाई गई हो - माना गया, हां - परिसमापन की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान परिसमापन में कंपनी की सभी संपत्तियों की रक्षा करना कंपनी न्यायालय का वैधानिक दायित्व है।

निर्धारित, कि चूंकि यह प्रतिवादी नंबर 2 के ध्यान में लाया गया है कि कुर्क की जाने वाली संपत्ति कंपनी की है (परिसमापन में)

और प्रतिवादी नंबर 2 ने पहले ही आधिकारिक परिसमापक को नोटिस जारी कर दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है आधिकारिक परिसमापक को कोई अवसर दिए बिना संपत्ति बेचें जो कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है (परिसमापन में) और कंपनी की संपत्ति की कुर्की और बिक्री (परिसमापन में) पर आपत्ति करने का पूरा अधिकार रखता है। भले ही देय ऋणों की वसूली के प्रावधान हों बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अधिनियम का अति-प्रभावी प्रभाव होता है और न्यायाधिकरण/वसूली अधिकारी के पास निर्णय लेने वाले देनदार की संपत्ति और संपत्तियों से निपटने के लिए विशेष क्षेत्राधिकार होता है, लेकिन फिर भी उसके पास देय ऋण की वसूली के प्रावधानों के तहत भी कानून के तहत कोई अधिकार नहीं है। परिसमापन में कंपनी की संपत्ति से निपटने के लिए बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष किसी पार्टी या निर्णय देनदार नहीं है और उस सीमा तक, यह न्यायालय कंपनी की संपत्ति (परिसमापन में) की रक्षा के लिए सीमित क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। . कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं प्रतिवादी नंबर 2 को निर्देश देता हूं कि वह आधिकारिक परिसमापक को उसके समक्ष कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल करे और उसे कंपनी (परिसमापन में) की ओर से मामले को पेश करने के लिए उचित और पर्याप्त अवसर प्रदान करे। प्रतिवादी नंबर 2 आधिकारिक परिसमापक को सुने बिना कंपनी की संपत्तियों/संपत्तियों (परिसमापन में) को बेचने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक कि वह कंपनी की संपत्ति (परिसमापन में) की स्थिति के सवाल का फैसला नहीं कर लेता। आधिकारिक परिसमापक इस न्यायालय को प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष कार्यवाही के बारे में सूचित रखेगा।

(26)

याचिकाकर्ता के वकील एएस नारंग।
प्रतिवादी नंबर 1 के लिए, अधिवक्ता, पुनीत

कंसल

ए.पी. जग्गा, वकील, प्रतिवादी संख्या 3 के लिए

परमोद कोहली, जे.

(1) याचिकाकर्ता मेसर्स वेदसंस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) का पूर्व प्रबंध निदेशक है। वर्तमान याचिका कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 446 का उपयोग करते हुए प्रतिवादी नंबर 1 की संपत्ति की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश मांगने के लिए दायर की गई है - कंपनी को किसी अन्य कंपनी के खिलाफ प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा सुरक्षित डिक्री के निष्पादन में प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा बेची जाने से बचाया जाए। , अर्थात्, वेदसंस प्राइवेट लिमिटेड। उन तथ्यों और परिस्थितियों पर संक्षेप में ध्यान देना उपयोगी है जहां वर्तमान में इस न्यायालय में याचिका दायर की गई है।

(2) प्रतिवादी नंबर 1, अर्थात्, मैसर्स वेदसंस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-एल, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़ को कंपनी की याचिका संख्या 27/1983 में पारित आदेश दिनांक 22 मई, 1996 द्वारा बंद करने का आदेश दिया गया था। इस न्यायालय से जुड़े आधिकारिक परिसमापक को परिसमापन में कंपनी के परिसमापक के रूप में नियुक्त किया गया था। परिसमापक ने 23 जुलाई, 1996 को कंपनी की संपत्ति पर कब्ज़ा कर लिया। प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी ने 1996 की कंपनी अपील संख्या 17 में समापन के उपरोक्त आदेश को चुनौती दी। हालांकि शुरुआत में अंतरिम रोक लगा दी गई थी, हालांकि, कंपनी की अपील 20 मार्च, 1997 के आदेश के तहत खारिज कर दी गई। बर्खास्तगी से व्यथित अपील के बाद, कंपनी ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका

दायर की। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 5 जनवरी, 1998 द्वारा अनुमति दे दी और आगे की समापन कार्यवाही पर रोक लगा दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, मेसर्स पंजाब नेशनल बैंक और कंपनी के परिसमापन के बीच एक समझौता हुआ। इसके परिणामस्वरूप, विशेष अनुमति याचिका का निपटारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 18 जुलाई, 2006 के आदेश द्वारा कर दिया गया। इस पूरी अवधि के दौरान, आधिकारिक परिसमापक द्वारा ली गई परिसमापन में कंपनी की संपत्ति उसके कब्जे में रही और नियंत्रण। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, मेसर्स वेदसंस स्टील एंड वायर्स प्रा. लिमिटेड को अपीलकर्ता संख्या 2 के रूप में शामिल किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1-कंपनी, पंजाब नेशनल बैंक और अपीलकर्ता संख्या के रूप में जोड़ी गई एक अन्य कंपनी-मेसर्स वेदसंस स्टील एंड वायर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौते की अनुमति दी गई थी। 2. माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी देखा कि निपटान की शर्तें केवल अपीलकर्ता संख्या 1 और 2 और पंजाब नेशनल बैंक के बीच हैं और कंपनी के अन्य लेनदारों, यदि कोई हों, के संदर्भ में नहीं हैं। जहां तक समापन की कार्यवाही का सवाल है, वह अभी भी इस न्यायालय के समक्ष लंबित है।

(3) इस बीच, प्रतिवादी संख्या 3, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मेसर्स वेदसंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। उक्त मुकदमे का फैसला 10 तारीख को हुआ मई, 1991 प्रतिवादी नंबर 3 बैंक के पक्ष में और मेसर्स वेदसंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ। ऐसा प्रतीत होता है कि बैंकों

और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत उपरोक्त न्यायाधिकरण के निर्माण के बाद मामला ऋण वसूली न्यायाधिकरण -1, नई दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया था। न्यायाधिकरण ने वर्ष 1999 में एक वसूली प्रमाणपत्र जारी किया था। रुपये की राशि की वसूली के लिए दिनांक 10 मई, 1991 के डिक्री का आधार। 18,77,267.64. वसूली प्रमाणपत्र (अनुलग्नक ए-7) से ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी, मेसर्स वेदसंस प्राइवेट लिमिटेड, मोहाली, जिला रोपड़, पंजाब के अलावा, अन्य व्यक्ति भी थे जो वसूली के उक्त प्रमाणपत्र में निर्णय देनदार थे, जिनमें एक भी शामिल था। श्रीमती राज रानी मेसर्स वेदसंस प्राइवेट लिमिटेड की गारंटर के रूप में। ऐसा लगता है कि प्रतिवादी नंबर 3 ने प्रतिवादी नंबर 2-वसूली अधिकारी के समक्ष एक हलफनामा दायर किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज रानी "आनंद सिनेमा" प्लॉट नंबर 2853-ए, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़ के नाम से जानी जाने वाली संपत्ति की सह-मालिक हैं और उन्होंने एक सुरक्षित संपत्ति हासिल की है। उपरोक्त संपत्ति में 1/3 हिस्से की सीमा तक आनंद सिनेमा को कुर्क करने का आदेश।

(4) प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 फरवरी, 2004 से प्रासंगिक उद्धरण यहां नीचे उद्धृत किया गया है:

“सीएच बैंक के वकील ने हलफनामा दायर किया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि सी.डी. नंबर 3 गिरवी रखी गई संपत्ति के सह-मालिकों में से एक है यानी वाणिज्यिक संपत्ति (आनंद सिनेमा, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़) वाणिज्यिक प्लॉट नंबर। 2853-ए, सेक्टर 17-ए और अन्य सह-मालिक श्री अशोक आनंद, श्री सुभाष आनंद और श्रीमती हैं। आशा आनंद.

संपत्ति की कुर्की के लिए वकील का अनुरोध। अनुरोध की अनुमति है. रजिस्ट्री को श्रीमती के शेयर के संबंध में बिक्री उद्घोषणा के निपटान के लिए कुर्की आदेश और नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। राज रानी आनंद (सी.डी. नं. 3) उपरोक्त संपत्ति। इसे दस्ती, रजि. परोसा जाए। ए.डी., पोस्ट. आस-पास में ढोल-नगाड़ों की थाप से अभिषेक किया गया। सीएच बैंक के वकील को सुनवाई की अगली तारीख तक सेवा रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए। सुनवाई की अगली तारीख पर आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी।"

(5) याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि जब यह आदेश याचिकाकर्ता के संज्ञान में आया, तो उन्होंने स्वर्गीय श्री वेद पाल आनंद के पुत्र श्री अशोक आनंद की ओर से कुर्की के आदेश के खिलाफ अन्य बातों के साथ-साथ यह दलील देते हुए आपत्तियां दायर कीं कि कुर्की का आदेश बैंक अधिकारियों के हलफनामे में तथ्यों को गलत तरीके से बताकर प्राप्त किया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ दलील दी गई थी कि संपत्ति, प्लॉट नंबर 2853-ए, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़ चंडीगढ़ प्रशासन की है और इसे मेसर्स वेदसंस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) को पट्टे पर दिया गया था। यह कंपनी, उपरोक्त भूखंड का पट्टाधारक न तो निर्णायक देनदार है, न ही प्रमाणपत्र देनदार है, और न ही प्रतिवादी नंबर 3 बैंक और मेसर्स वेदसंस प्राइवेट लिमिटेड के बीच ऋण लेनदेन के संबंध में गारंटर भी है। उक्त आपत्ति में आगे कहा गया है कि मेसर्स वेडसंस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) मेसर्स वेडसंस प्राइवेट लिमिटेड से एक अलग और विशिष्ट कंपनी है। यह भी निवेदन किया गया कि श्रीमती. राज रानी, प्रमाणपत्र देनदार संख्या 3 कुर्की की जाने

वाली संपत्ति की सह-मालिक नहीं है। मेसर्स वेदसंस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को बंद करने के तथ्य का आपत्तियों के पैराग्राफ 5 में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था।

(6) प्रतिवादी संख्या 2, हालांकि, इन आपत्तियों पर निर्णय किए बिना कुर्की लागू करने के लिए आगे बढ़ी। याचिकाकर्ता ने 28 जुलाई, 1981 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मेसर्स वेदसंस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) के पक्ष में 99 वर्षों की अवधि के लिए दी गई लीज डीड की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी है। इन दस्तावेजों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि यह परिसमापन में कंपनी है जो भूखंड की पट्टेदार है और इस प्रकार न तो मेसर्स वेदसंस प्राइवेट लिमिटेड, एक अलग कंपनी जिसे प्रतिवादी नंबर 2 और न ही श्रीमती के समक्ष कार्यवाही में निर्णय देनदार के रूप में नामित किया गया है। राज रानी प्लॉट और उस पर जुटाई गई संपत्ति की मालिक हैं। पक्षों का यह स्वीकार किया गया मामला है कि वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा वसूली अधिकारी के समक्ष दायर की गई आपत्तियों पर आज तक निर्णय नहीं लिया गया है और 23 अक्टूबर, 2007 के आदेश के कार्यान्वयन को इस न्यायालय ने 1 नवंबर, 2007 के अंतर-लोक्यूटरी आदेश के माध्यम से निलंबित कर दिया है।

(7) इस याचिका का प्रतिवादी संख्या 3-बैंक, डिक्री धारक द्वारा एक विस्तृत लिखित बयान दाखिल करके विरोध किया गया है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि लिखित बयान के पैराग्राफ 7 में, बैंक ने विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि मेसर्स वेदसंस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वेदसंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्यवाही में न तो निर्णय देनदार है और न ही प्रमाणपत्र देनदार है।

हालाँकि, यह कहा गया है कि श्रीमती। राज रानी के पास कंपनी (परिसमापन में) मेसर्स वेदसंस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड में 30% हिस्सेदारी है और वह मेसर्स वेदसंस प्राइवेट लिमिटेड, निर्णय देनदारों के लिए गारंटर है, उन्हें 30% तक की संपत्ति में शीर्षक धारक माना जाता है। और इस प्रकार श्रीमती की हिस्सेदारी की सीमा तक परिसमापन में कंपनी की संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही। रंज रानी कानूनी और वैध हैं। आगे उल्लेख किया गया है कि श्री वेद पाल आनंद, प्रबंध निदेशक, मेसर्स वेदसंस प्राइवेट लिमिटेड में गारंटर के रूप में एक प्रमाणपत्र ऋणी थे। उनकी सारी संपत्ति उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो गई है जो सर्व/श्री अशोक आनंद, सुभाष कुमार आनंद और श्रीमती राज रानी के अलावा श्रीमती आशा आनंद हैं जो कंपनी में शेयरधारक हैं, मेसर्स वेदसंस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में), वे सभी बैंक के गारंटर के रूप में मेसर्स वेदसंस प्राइवेट लिमिटेड के ऋण के भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं।

(8) याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्रतिकृति में, इस बात से इनकार किया गया है कि श्रीमती। आशा आनंद कंपनी (परिसमापन में) में शेयरधारक/निदेशक हैं। यह विशेष रूप से कहा गया है कि श्री अशोक आनंद को अपने पिता स्वर्गीय श्री वेद पाल आनंद से कंपनी में कोई संपत्ति या शेयर (परिसमापन में) विरासत में नहीं मिला है। यह भी उल्लेख किया गया है कि श्री वेद पाल आनंद, जो मेसर्स वेदसंस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में गारंटर थे, ने कभी भी कंपनी (परिसमापन में) में कोई हिस्सेदारी नहीं रखी और इसलिए प्रतिवादी नंबर 3 बैंक प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी का लेनदार नहीं है।

(9) चूंकि इस याचिका का नोटिस ऑफिशियल लिक्विडेटर को भी

जारी किया गया था. उन्होंने प्रतिवादी नंबर 3 के कहने पर संबंधित संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही पर आपत्ति जताते हुए एक लिखित बयान भी दायर किया है। यह कहा गया है कि कंपनी की संपत्ति (परिसमापन में) प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा बेची नहीं जा सकती है। के पैराग्राफ 9 में उत्तर में, आधिकारिक परिसमापक ने उल्लेख किया है कि लीज डीड के संदर्भ में वेदसंस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) आनंद सिनेमा, सेक्टर 17, चंडीगढ़ में वर्णित संपत्ति का पूर्ण और पूर्ण मालिक है। उन्होंने आगे कहा है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो बताता हो कि श्रीमती। कंपनी के समापन में शेयरधारक होने के अलावा, राज रानी आनंद संपत्ति की मालिक हैं। आधिकारिक परिसमापक ने आगे कहा है कि उन्हें प्रतिवादी नंबर 2 से पहले की कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि यह कंपनी के समापन से संबंधित नहीं है। यह भी दलील दी गई है कि कंपनी को बंद करने की संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के बिना है।

(10) यह ध्यान रखना उचित है कि जब प्रतिवादी नंबर 2 ने कंपनी की संपत्ति (परिसमापन में) संलग्न की, तब भी कभी भी आधिकारिक परिसमापक या परिसमापन में कंपनी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

(11) प्रतिवादी संख्या 3 बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने इलाहाबाद बैंक बनाम केनरा बैंक और अन्य के मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। (1) जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम (1993 का 51) के तहत कार्यवाही पर कंपनी न्यायालय द्वारा रोक नहीं लगाई जा सकती है और धारा 446 के तहत न्यायालय की अनुमति

प्राप्त किए बिना इसे जारी रखा जा सकता है (1) कंपनी अधिनियम का. उपरोक्त निर्णय में कुछ टिप्पणियों का उल्लेख करना उपयोगी हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विचार के लिए निम्नलिखित बिंदु तय किये:-

13. उपरोक्त तर्कों से, निम्नलिखित बिंदु विचार के लिए उठते हैं:

a. क्या आरडीबी अधिनियम के तहत कार्यवाही के संबंध में बैंकों या वित्तीय संस्थानों को देय धन के निर्णय के चरण में और आरडीबी अधिनियम के तहत धन की वसूली के लिए निष्पादन के चरण में, ट्रिब्यूनल और रिकवरी अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है उनके संबंधित क्षेत्रों में विशेष क्षेत्राधिकार?

b. क्या आरडीबी अधिनियम के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा विभिन्न कार्यवाही शुरू करने के लिए, कंपनी के खिलाफ समापन आदेश पारित करने से पहले या एस के तहत अनंतिम परिसमापक नियुक्त करने से पहले, धारा 537 के तहत कंपनी न्यायालय की छुट्टी आवश्यक है। 446(1) और क्या कंपनी न्यायालय, धारा 442 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश पारित कर सकता है?

c. क्या कंपनी अधिनियम की धारा 446(1) के तहत समापन आदेश पारित होने के बाद या एक अनंतिम परिसमापक नियुक्त किया गया है, क्या कंपनी न्यायालय आरडीबी अधिनियम के तहत कार्यवाही पर रोक लगा सकता है, उन्हें अपने पास स्थानांतरित कर सकता है और प्रश्नों का निर्णय भी कर सकता है। कंपनी अधिनियम की धारा 529, 529ए और 530 आदि के साथ पठित धारा 446 (2) और (3) के

तहत दायित्व, निष्पादन और प्राथमिकता या क्या ये सभी प्रश्न ट्रिब्यूनल के विशेष क्षेत्राधिकार के भीतर हैं?

d. क्या, यदि यह निर्णय लिया गया है कि धन का वितरण केवल ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाना है, तो धारा 73 सी.आर.सी. के प्रावधान। और धारा 529 के उप-खंड (1) और (2), कंपनी अधिनियम की धारा 530 भी धारा 529ए के अलावा-आरडीबी अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही पर लागू होते हैं?

e. क्या अध्यादेश 1/2000 द्वारा प्रस्तुत धारा 19(2) और 19(19) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, ट्रिब्यूनल अकेले अपीलकर्ता बैंक को अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त संपूर्ण बिक्री आय को सीमित सीमा को छोड़कर विनियोजित करने की अनुमति दे सकता है। धारा 529ए द्वारा प्रतिबंधित? क्या केनरा बैंक जैसे सुरक्षित लेनदार धारा 19(9) के तहत रिकवरी7 अधिकारी द्वारा की गई वसूली के किसी भी हिस्से का दावा कर सकते हैं और क्या ऐसे मामलों में कोई अंतर है जहां सुरक्षित लेनदार समापन के बाहर खड़े होने का विकल्प चुनता है और जहां वह कंपनी के सामने जाता है अदालत?

f. मामले के तथ्यों पर क्या राहत दी जानी चाहिए क्योंकि रिकवरी अधिकारी ने अब कंपनी की कुछ संपत्तियां बेच दी हैं और पैसा आंशिक रूप से ट्रिब्यूनल में या आंशिक रूप से इस न्यायालय में पड़ा हुआ है?

(12) बिंदु 1 का उत्तर पैराग्राफ 25 में दिया गया था जो इस प्रकार है:-

"25. इस प्रकार, दायित्व का निर्णय और प्रमाण पत्र के

निष्पादन द्वारा राशि की वसूली क्रमशः ट्रिब्यूनल और रिकवरी अधिकारी के विशेष क्षेत्राधिकार के भीतर है और कोई अन्य न्यायालय या प्राधिकरण, सिविल कोर्ट या कंपनी कोर्ट तो क्या, उक्त मामले में नहीं जा सकता है। अधिनियम में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर दायित्व और वसूली से संबंधित प्रश्न। बिंदु 1 तदनुसार तय किया गया है।

(13) बिंदु 2 और 3 का उत्तर भी इस प्रकार दिया गया है:–

"31.....हमारा विचार है कि आरडीबी अधिनियम के तहत धारा 34 जैसी एक अतिरिक्त धारा के साथ अपीलकर्ताओं का मामला इस बात के लिए मजबूत आधार पर है कि धारा 537 के तहत कंपनी न्यायालय की अनुमति आवश्यक नहीं है या उन्हीं कारणों से धारा 446 के तहत। यदि ट्रिब्यूनल का क्षेत्राधिकार विशिष्ट है, तो कंपनी न्यायालय ट्रिब्यूनल/वसूली अधिकारी के खिलाफ धारा 442 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है। इस प्रकार, धारा 442,446 और 537 को ट्रिब्यूनल के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है।

XXX XXX XXX

49. उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि धारा 17 के तहत निर्णय के चरण और धारा 25 के तहत प्रमाण पत्र के निष्पादन आदि के दौरान आरडीबी अधिनियम, 1993 के प्रावधान ऋणों के संबंध में ट्रिब्यूनल और रिकवरी अधिकारी को विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान करते हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 537 के साथ पठित धारा 442 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 446 के तहत कंपनी न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा

सकता है। आरडीबी अधिनियम के तहत प्राप्त धन के संबंध में, प्राथमिकताओं का प्रश्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों और अन्य लेनदारों का निर्णय केवल आरडीबी अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा और कंपनी अधिनियम की धारा 529ए के साथ पढ़ी गई धारा 19(19) के अनुसार किया जा सकता है, किसी अन्य तरीके से नहीं। आरडीबी अधिनियम, 1993 के प्रावधान उपरोक्त सीमा तक कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों से असंगत हैं और बाद वाले अधिनियम को पूर्व के प्रावधानों के अनुरूप होना होगा। यह स्थिति देनदार-कंपनी के खिलाफ समापन याचिका के लंबित रहने के दौरान और समापन आदेश पारित होने के बाद भी लागू रहती है। आरडीबी अधिनियम, 1993 के तहत कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने के लिए कंपनी न्यायालय की अनुमति आवश्यक नहीं है। बिंदु 2 और 3 तदनुसार अपीलकर्ता के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ तय किए जाते हैं।

(14) कंपनी अधिनियम के उद्देश्य और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं: -

“34. हालांकि यह सच है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुदर्शन चिट्स (पी) लिमिटेड मामले (1984 (4) एससीसी 657) और अन्य मामलों में कंपनी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के पक्ष में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांत को लागू किया गया है। हमारे विचार में, उक्त सिद्धांत को आरडीबी अधिनियम के श्रेष्ठ उद्देश्य और उसमें निहित विशेष प्रावधानों के मद्देनजर ऋण वसूली न्यायाधिकरण के खिलाफ वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता है। हमारी राय में, ऊपर उल्लिखित वही सिद्धांत आरडीबी अधिनियम, 1993 के तहत ट्रिब्यूनल/वसूली अधिकारी पर समान रूप से लागू होता है क्योंकि उक्त अधिनियम का उद्देश्य कंपनी अधिनियम की धारा

442,446 और 537 के उद्देश्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य यह था कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय हजारों करोड़ रुपये की वसूली के लिए एक त्वरित और संक्षिप्त उपाय होना चाहिए, ताकि समापन कार्यवाही में होने वाली देरी से बचा जा सके।

(15) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिंदु 4 एवं 5 का उत्तर इस प्रकार दिया गया है:-

"53. जहां प्रतिवादी एक कंपनी है जिसके खिलाफ कोई समापन आदेश पारित नहीं किया गया है, हमारे विचार में, कंपनी किसी भी अन्य प्रतिवादी की तरह है और यदि ऐसी स्थिति में ट्रिब्यूनल के समक्ष प्राथमिकता का प्रश्न उठता है, तो इसके तहत प्राप्त किसी भी धन के संबंध में आरडीबी अधिनियम, एक ओर बैंक या वित्तीय संस्थानों और दूसरी ओर अन्य लेनदारों के बीच, हमारी राय में, ट्रिब्यूनल के लिए कोड की धारा 73 में अंतर्निहित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के ऐसे प्रश्नों पर निर्णय लेना आवश्यक होगा। सिविल प्रक्रिया का. हमारे विचार में, आरडीबी अधिनियम की धारा 22, केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अधीन, प्राथमिकताओं के ऐसे प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए ट्रिब्यूनल और अपीलीय ट्रिब्यूनल को पर्याप्त व्यापक शक्तियां प्रदान करती है। इस न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि धारा 22 के तहत शक्तियां सिविल न्यायालयों की तुलना में व्यापक हैं और इसकी शक्तियों पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होगा। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लिमिटेड बनाम ग्रैपको इंडस्ट्रीज लिमिटेड (1999) 4 एससीसी 710... देखें।

54. लेकिन धारा 73 सी.पी.सी. के तहत, बिक्री आय में हिस्सेदारी (यहां, आरडीबी अधिनियम के तहत प्राप्त बिक्री आय) केवल तभी

स्वीकार्य है, जब ऐसे शेयर चाहने वाले व्यक्ति ने ट्रिब्यूनल से डिक्री या न्यायनिर्णयन का आदेश प्राप्त किया हो और अन्य का अनुपालन भी किया हो। धारा 73 के तहत निर्धारित शर्तें। वर्तमान मामले में, केनरा बैंक धारा 73 सी.आरसी में अंतर्निहित सिद्धांतों को लागू करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि इसने अभी तक ट्रिब्यूनल से अपने ऋण की कोई डिक्री या निर्णय प्राप्त नहीं किया है। न ही इसने धारा 73 सी.पी.सी. के अंतर्निहित अन्य प्रावधानों का अनुपालन किया है। इसलिए उक्त सिद्धांतों के आधार पर कोई राहत नहीं दी जा सकती।"

(16) उपरोक्त निर्णय के अनुपात को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी नंबर 3 की ओर से यह तर्क दिया गया है कि कंपनी न्यायालय के पास वसूली अधिकारी के समक्ष कार्यवाही में हस्तक्षेप करने और कोई भी निर्देश जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, भले ही कंपनी की संपत्ति ही क्यों न हो। (परिसमापन में) इसके द्वारा निपटाया जाता है। प्रतिवादी नंबर 3 के तर्क को समझने और सराहने की दृष्टि से, यहां बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक समझा गया है: -

"17. **न्यायाधिकरणों का क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ और अधिकार**: - (1) एक न्यायाधिकरण, नियत दिन से, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से देय ऋणों की वसूली के लिए आवेदनों पर विचार करने और निर्णय लेने के अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा। ऐसे बैंक और वित्तीय संस्थान।

(2) एक अपीलीय न्यायाधिकरण नियत दिन से, इस अधिनियम के तहत एक न्यायाधिकरण द्वारा किए गए या किए गए समझे गए किसी भी आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करने के क्षेत्राधिकार, शक्तियों और अधिकार का प्रयोग करेगा।

XXX XXX XXX

18. **क्षेत्राधिकार की वर्जना**- नियत दिन से, किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के पास कोई भी क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ या प्राधिकार नहीं होगा, या प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा (सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 और 227 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय को छोड़कर) संविधान) धारा 17 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में।

XXX XXX XXX

34. **अधिनियम का सर्वव्यापी प्रभाव होना-** (1) उप-धारा (2) के तहत दिए गए प्रावधान के अलावा, इस अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी भी अन्य कानून या किसी भी उपकरण में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे। इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभाव।"

(2) इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15), राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके निरादर में। भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52), भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 (1984 का 62), रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (1986 का प्रथम) और लघु उद्योग भारतीय विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39)।"

(17) उपरोक्त अधिनियम की धारा 17 और 18 का एक संयुक्त वाचन इंगित करता है कि अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण के पास ऐसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के दावों पर विचार करने और निर्णय लेने का विशेष क्षेत्राधिकार है और नहीं सिविल न्यायालय या प्राधिकरण ऐसे ऋणों के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा। हालाँकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्ति को बरकरार रखा गया है, वही संवैधानिक शक्तियाँ भी हैं। अधिनियम की धारा 19 अधिनियम के तहत दावों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया बताती है। धारा 34 इस

अधिनियम को एक विशेष क़ानून बनाती है जिसका अन्य सभी कानूनों पर अति-प्रभावी प्रभाव होता है, जिसमें इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभाव डालने वाले उपकरण भी शामिल हैं। अधिनियम के तहत सहेजे गए उप-धारा (2) के तहत अधिनियम के कुछ प्रावधान निर्दिष्ट हैं। उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से ट्रिब्यूनल के विशेष क्षेत्राधिकार का प्रावधान करते हैं, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों के संबंध में उनके दावों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए अधिनियम के तहत बनाई गई अपीलीय प्राधिकरण है। इलाहाबाद बैंक (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है। अधिनियम के तहत गठित और नियुक्त वसूली अधिकारी को अधिनियम की धारा 25 के अनुसार वसूली करने की शक्ति प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है:-

" 25. **ऋणों की वसूली के तरीके:**- वसूली अधिकारी, धारा 19 की उप-धारा (7) के तहत प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त होने पर, निम्नलिखित में से एक या अधिक तरीकों से प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट ऋण की राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ेगा। , अर्थात्:-

(ए) प्रतिवादी की चल या अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री;

(बी) प्रतिवादी की गिरफ्तारी और जेल में उसकी हिरासत;

(सी) प्रतिवादी की चल या अचल संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक रिसीवर नियुक्त करना।

(18) अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान वसूली अधिकारी को खंड (ए) से (सी) में निर्धारित किसी भी तरीके से ऋण की वसूली करने का अधिकार देते हैं। हालाँकि, इन सभी खंडों में जोर मुकदमे में प्रतिवादी की संपत्ति पर है। अकेले प्रतिवादी की चल और अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री धारा 25 के तहत अधिकार क्षेत्र और अधिकार का प्रयोग करते हुए वसूली अधिकारी द्वारा कुर्क की जा सकती है। अधिनियम। इसी संदर्भ में वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं के तर्क की जांच की जानी चाहिए। यह विवाद में नहीं है कि मेसर्स वेदसंस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड-कंपनी परिसमापन में है, याचिकाकर्ता न तो प्रतिवादी नंबर 3-बैंक द्वारा दायर मुकदमे में प्रतिवादी था और न ही डिक्री में निर्णय देनदार या कार्यवाही में प्रमाणपत्र देनदार है। प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष। इस

तथ्य को प्रतिवादी संख्या 3 ने यहां ऊपर उल्लिखित अपने लिखित बयान में स्वीकार किया है। हालाँकि, प्रतिवादी नंबर 2 उस संपत्ति के खिलाफ डिक्री को लागू कर रहा है, जिस पर दावा किया गया है और माना जाता है कि वह परिसमापन में कंपनी की है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि परिसमापन में कंपनी प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रतिवादी/न्यायिक ऋणी/प्रमाणपत्र ऋणी/गारंटर है या किसी भी राशि की वसूली के लिए डिक्री का सामना करना पड़ा है जिसके लिए वसूली कार्यवाही चल रही है प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबित है। इसके विपरीत याचिकाकर्ता ने यह स्थापित करने के लिए दिनांक 28 जुलाई, 1981 के पट्टा विलेख की प्रति रिकॉर्ड में रखी है कि जिस संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया है - दिनांक 13 फरवरी, 2007 के आदेश के तहत वह परिसमापन में कंपनी की है और श्रीमती सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं। राज रानी. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा पारित 23 अक्टूबर, 2007 के एक आदेश को भी रिकॉर्ड पर रखा है, जिसके तहत कंपनी के परिसमापन के लिए आधिकारिक परिसमापक, अर्थात् वेदसंस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। हालांकि, साथ ही, वसूली अधिकारी ने आनंद सिनेमा के 1/3 शेयर की बिक्री उद्घोषणा के निपटान के लिए नए सिरे से नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। हालाँकि, इस आदेश को इस न्यायालय ने 1 नवंबर, 2007 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया था।

(19) चूंकि जाहिरा तौर पर, प्रतिवादी नंबर 2 के समक्ष कंपनी (परिसमापन में) के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित नहीं है और न ही परिसमापन में कंपनी प्रतिवादी या निर्णय देनदार है, कंपनी (परिसमापन में) से संबंधित संपत्ति को कुर्क करने और निष्पादन में बेचने की मांग की गई है एक अन्य कंपनी, मेसर्स वेदसंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक डिक्री। लिमिटेड। इस न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि क्या वह कंपनी की संपत्ति (परिसमापन में) की रक्षा के लिए किसी नियंत्रण या अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले, एक और प्रश्न जो याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया है और प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा आपत्ति जताई गई है, वह यह है कि वसूली प्रमाणपत्र के निष्पादन में संलग्न की जाने वाली सभी संपत्तियां कंपनी (परिसमापन

में) की हैं। इसके शेयरधारकों की संयुक्त संपत्ति। श्रीमती बाचा एफ. फुजदार, बॉम्बे बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे (2) के मामले में, एक कंपनी के शेयरधारक की स्थिति की जांच की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो देखा, उसे यहां इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है::

“7. कि एक शेयरधारक को इसमें भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है|कंपनी के मुनाफे को आसानी से स्वीकार किया जा सकता है लेकिन इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि शेयर धारक को कंपनी की संपत्ति में कोई दिलचस्पी है। ऊपर उद्धृत परिच्छेद में "संपत्ति" शब्द के उपयोग का उपयोग यह निष्कर्ष निकालने के लिए नहीं किया जा सकता है कि शेयरधारक, शेयरों की खरीद में पैसा निवेश करने पर, कंपनी की संपत्ति का हकदार बन जाता है और कंपनी की संपत्ति में उसका कोई हिस्सा होता है। कंपनी।

एक शेयरधारक को कंपनी की संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है, हालांकि जब भी कंपनी उन्हें विभाजित करने का निर्णय लेती है तो उसे निस्संदेह मुनाफे में भाग लेने का अधिकार है। शोलापुर मिल्स केस-'चरणजीत लाई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया', एआईआर 1951 एससी 41, पृष्ठ 54, 55 (बी) में कंपनी के 'विज़-ए-विज़' शेयरधारक के हित को समझाया गया था। यह निर्णय अपीलकर्ता की ओर से अपनाई गई स्थिति को नकारात्मक करता है कि एक शेयरधारक को कंपनी की संपत्ति में अधिकार मिला है। यह सच है कि कंपनी के शेयरधारकों के पास कंपनी के मामलों के प्रशासन में एकमात्र निर्धारक आवाज है और वे इसके हकदार हैं, जैसा कि लेख में प्रदान किया गया है।

एसोसिएशन की ओर से यह घोषित करने के लिए कि लाभांश को कंपनी के मुनाफे में से शेयरधारकों को वितरित किया जाना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से शेयरधारक का हित कंपनी के मुनाफे में भाग लेने के अधिकार से अधिक नहीं है।

कंपनी एक न्यायिक व्यक्ति है और शेयरधारक से अलग है। यह कंपनी है जो संपत्ति की मालिक है, न कि शेयरधारक। लाभांश कंपनी द्वारा शेयरधारकों के बीच वितरित किए जाने योग्य घोषित मुनाफे का एक हिस्सा है। अपीलकर्ता की ओर से बकले के कंपनी अधिनियम (12वें संस्करण, पृष्ठ 894) के एक अंश पर भरोसा रखा गया है जहां लाभांश

का व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ लाभांश के रूप में दिया गया है, कुल विभाज्य राशि लेकिन इसके सामान्य अर्थ में इसका मतलब भुगतान और प्राप्त राशि है प्राप्तकर्ता को देय विभाज्य राशि का हिस्सा बनाने वाले भागफल के रूप में। यह कथन इस तर्क को उचित नहीं ठहराता है कि शेयरधारक विभाज्य राशि के मालिक हैं या वे कंपनी की संपत्ति के मालिक हैं। प्रश्न के समाधान के लिए उचित दृष्टिकोण कृषि आय की परिभाषा के स्पष्ट शब्दों पर ध्यान केंद्रित करना है जो बिना किसी अनिश्चित भाषा के राजस्व को उस भूमि से जोड़ता है जहां से यह सीधे उत्पन्न होता है और ऐसे मामले में एक भटका हुआ अवलोकन जिसका आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्तमान प्रश्न प्रश्न के समाधान को आगे नहीं बढ़ाता है। भारतीय कानून में इस धारणा की पुष्टि करने के लिए कुछ भी नहीं है कि शेयर खरीदने वाला शेयरधारक कंपनी की संपत्ति में कोई दिलचस्पी लेता है, जो कि शेयरधारकों से पूरी तरह से अलग एक न्यायिक व्यक्ति है।

(20) श्रीमती सी. मंगला विजयलक्ष्मी बनाम के मामले में के.एस. कासिमरिस सेरामिक (पी.) लिमिटेड और अन्य (3), मद्रास उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार देखा है: -

".....यह अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति है कि इस धारणा के लिए कुछ भी उचित नहीं है कि किसी शेयरधारक का कंपनी की संपत्ति में कोई हित है, जो एक न्यायिक व्यक्ति है और जो पूरी तरह से अलग है शेयरधारकों से. एक शेयरधारक की वास्तविक स्थिति एक निवेशक है, वह उस कंपनी के मुनाफे में भाग लेने का हकदार होगा जिसमें वह शेयर रखता है जब कंपनी घोषणा करती है, एसोसिएशन के लेखों के अधीन कि लाभ या उसके हिस्से को वितरित किया जाना चाहिए शेयरधारकों को लाभांश राशि का तरीका। इसके अलावा, शेयरधारक को कंपनी की परिसंपत्तियों में भाग लेने का एक और अधिकार मिल गया है, जो कंपनी के समापन के बाद बच जाएगा, लेकिन संपूर्ण परिसंपत्तियों में नहीं।

(21) **पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड बनाम पीएनएफसी कर्मचारी संघ और अन्य** (4) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पीएसआईडीसी, एक सरकारी कंपनी को पंजाब के ऋणों का भुगतान

करने का निर्देश दिया गया था। नेशनल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, कंपनी का परिसमापन इस आधार पर किया जा रहा है कि पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के पास पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में 46.23% शेयर हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भले ही पीएसआईडीसी एक शेयरधारक है, लेकिन यह ऐसा नहीं कर सकता। एक अलग इकाई होने के नाते परिसमापन में कंपनी की ओर से दायित्व के साथ बांधा जाना चाहिए।

(22) कंपनी अधिनियम की धारा 34 किसी कंपनी के पंजीकरण के प्रभाव से संबंधित है जो इस प्रकार है:-

"**34. पंजीकरण का प्रभाव**- (1) किसी कंपनी के ज्ञापन के पंजीकरण पर, रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा कि कंपनी निगमित है और सीमित कंपनी के मामले में, कंपनी सीमित है।

(2) निगमन प्रमाणपत्र में उल्लिखित निगमन की तारीख से, ज्ञापन के ऐसे ग्राहक और अन्य व्यक्ति, जो समय-समय पर कंपनी के सदस्य हो सकते हैं, ज्ञापन में निहित नाम से एक कॉर्पोरेट निकाय होंगे, एक निगमित कंपनी के सभी कार्यों को करने में सक्षम, और स्थायी उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर रखता है, लेकिन कंपनी के बंद होने की स्थिति में कंपनी की संपत्ति में योगदान करने के लिए सदस्यों की ओर से इस तरह के दायित्व के साथ इस अधिनियम में उल्लेख किया गया है।

(23) उप-धारा (2) के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि कंपनी के निगमन और रजिस्ट्रार के साथ कंपनी के ज्ञापन के पंजीकरण पर, यह एक कॉर्पोरेट निकाय होगा और इस प्रकार अपने सतत उत्तराधिकार के साथ एक अलग और कानूनी इकाई बन जाएगी। और एक सामान्य मुहर. कंपनी अधिनियम की धारा 49 कंपनी के निवेश की स्थिति से संबंधित है जो इस प्रकार है:-

"49. कंपनी के निवेश को अपने नाम पर रखा जाना चाहिए (1) उप-धारा (2) से (5) [या उस समय लागू किसी अन्य कानून] में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर और उप-धारा के प्रावधानों के अधीन (6) से (8)- (ए) किसी कंपनी द्वारा अपनी ओर से किए गए सभी निवेश उसके अपने नाम पर किए और रखे जाएंगे; और

(1) जहां इस अधिनियम के प्रारंभ में ऐसा कोई निवेश नहीं किया गया है, कंपनी ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि के भीतर, उन्हें या तो स्थानांतरित कर देगी, और उन्हें अपने नाम पर रखेगी, या निपटान कर देगी उनमें से।

(2) जहां कंपनी को किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार है- या जहां कंपनी के किसी भी नामांकित व्यक्ति या नामांकित व्यक्ति को किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट के निदेशक या निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है या नियुक्त किया गया है, ऐसे अन्य निकाय कॉर्पोरेट में शेयर योग्यता शेयरों के नाममात्र मूल्य से अधिक नहीं की राशि जो उसके निदेशक द्वारा रखी जानी आवश्यक है, ऐसी कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से स्वयं और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या नामांकित व्यक्ति के नाम पर या प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत या रखी जा सकती है। व्यक्ति या नामांकित व्यक्ति.

(3) एक कंपनी अपनी सहायक कंपनी में किसी भी नामांकित व्यक्ति या नामित व्यक्ति के नाम पर कोई भी शेयर रख सकती है, यदि और जहां तक ऐसा करना आवश्यक है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायक कंपनी के सदस्यों की संख्या है जहां यह एक सार्वजनिक कंपनी है, वहां सात से नीचे, और जहां यह एक निजी कंपनी है, वहां दो से नीचे नहीं घटाया गया है।

(4) उप-धारा (1) उस कंपनी द्वारा किए गए निवेश पर लागू नहीं होगी जिसका मुख्य व्यवसाय शेयरों या प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री है।

(5) इस धारा में किसी भी बात को किसी कंपनी को रोकने वाला नहीं माना जाएगा-

(ए) कंपनी के बैंकर होने के नाते किसी भी लाभांश या उस पर देय ब्याज के संग्रह के लिए किसी भी शेयर या प्रतिभूतियों को बैंक में जमा करने से; या

[(एए) कंपनी के बैंकर होने के नाते, भारतीय स्टेट बैंक या अनुसूचित बैंक में शेयरों या प्रतिभूतियों को जमा करने, या स्थानांतरित करने, या उनके नाम पर रखने से, उनके हस्तांतरण की सुविधा के लिए:

बशर्ते कि यदि उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर, जिस

दिन शेयर या प्रतिभूतियां कंपनी द्वारा पूर्वोक्त भारतीय स्टेट बैंक या अनुसूचित बैंक को हस्तांतरित की जाती हैं, या उनके नाम पर पहली बार रखी जाती हैं, तो नहीं। ऐसे शेयरों या प्रतिभूतियों का स्थानांतरण होता है, तो कंपनी उस अवधि की समाप्ति के बाद जितनी जल्दी हो सके, शेयरों या प्रतिभूतियों को भारतीय स्टेट बैंक या अनुसूचित बैंक या, जैसा भी मामला हो, से पुनः हस्तांतरित कर देगी। शेयरों या प्रतिभूतियों को फिर से अपने नाम पर रखना; या]

(बी) कंपनी को दिए गए किसी भी ऋण के पुनर्भुगतान या उसके द्वारा किए गए किसी दायित्व के प्रदर्शन के लिए सुरक्षा के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के पास कोई शेयर या प्रतिभूतियां जमा करने या हस्तांतरित करने से;

(सी) किसी डिपॉजिटरी के नाम पर निवेश रखने से, जब ऐसा निवेश कंपनी द्वारा लाभकारी स्वामी के रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के रूप में हो।]

(6) शेयरों या प्रतिभूतियों से संबंधित प्रमाणपत्र या आवंटन पत्र जिसमें किसी कंपनी द्वारा निवेश किया गया है, उप-अनुभागों में निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर

(4) और (5), ऐसी कंपनी की हिरासत में हों या [भारतीय स्टेट बैंक या अनुसूचित बैंक के पास], कंपनी के बैंकर हों।

(7) जहां, उप-धारा (2), (3), (4) या (5) के अनुसरण में और शेयर या प्रतिभूतियां जिनमें किसी कंपनी द्वारा निवेश किया गया है, उसे अपने नाम पर नहीं रखा जाता है, कंपनी इस प्रयोजन के लिए अपने द्वारा बनाए गए रजिस्टर में तुरंत प्रवेश करेगी-

(ए) प्रकृति, मूल्य, और ऐसे अन्य विवरण जो प्रश्न में शेयरों या प्रतिभूतियों की पहचान करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं; और

(बी) वह बैंक या व्यक्ति जिसके नाम या हिरासत में शेयर या प्रतिभूतियां रखी गई हैं।

उप-धारा (7) के तहत रखा गया रजिस्टर कंपनी के किसी भी सदस्य या डिबेंचर धारक के निरीक्षण के लिए बिना किसी शुल्क के,

व्यावसायिक घंटों के दौरान, ऐसे उचित प्रतिबंधों के अधीन खुला रहेगा, जैसा कि कंपनी अपने लेखों द्वारा या सामान्य बैठक में कर सकती है। लागू करें, ताकि प्रत्येक दिन निरीक्षण के लिए कम से कम दो घंटे की अनुमति दी जाए।

(9) यदि उप-धारा (1) से (8) तक की किसी भी आवश्यकता के अनुपालन में चूक की जाती है, तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूक करता है, जुर्माने से दंडनीय होगा जो कि [तक बढ़ सकता है] पचास हजार रुपये]।

(10) यदि उप-धारा (8) के तहत आवश्यक किसी भी निरीक्षण से इनकार कर दिया जाता है, तो [केंद्र सरकार], आदेश द्वारा, रजिस्टर के तत्काल निरीक्षण का निर्देश दे सकती है।

इस उपधारा में किसी भी बात को किसी भी तरह से उपधारा (9) के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाएगा।

(11) इस खंड में, "प्रतिभूतियों" में स्टॉक और डिबेंचर शामिल हैं।"

(24) धारा में प्रावधान है कि कंपनी द्वारा किया गया निवेश उसके अपने नाम पर रखा जाएगा। विभिन्न खंडों को संयुक्त रूप से पढ़ने से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कंपनी द्वारा रखा गया कोई भी निवेश या संपत्ति कंपनी की है और इसके शेयरधारकों को नहीं, हालांकि शेयरधारकों को कंपनी के मुनाफे में भाग लेने का अधिकार हो सकता है और इसके परिसमापन पर, कंपनी की संपत्तियों और संपत्तियों को धारा 529, 529-ए के प्रावधानों के अनुसार वितरित और साझा किया जाना आवश्यक है। और कंपनी अधिनियम की धारा 530. इस स्पष्ट कानूनी स्थिति को देखते हुए जो उभर कर आता है वह यह है कि शेयर के मूल्य की परवाह किए बिना किसी भी शेयरधारक के पास कंपनी की परिसंपत्तियों और संपत्तियों पर कोई अधिकार या स्वामित्व नहीं है ताकि वे व्यक्तिगत रूप से उससे निपट सकें या उसके शेयरों को निष्पादन में संलग्न किया जा सके। व्यक्तिगत शेयरधारकों के विरुद्ध एक डिक्री। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कंपनी के नाम पर रखी गई कोई भी संपत्ति कंपनी की है और समापन की स्थिति में उसे अपने सुरक्षित लेनदारों के अधिमान्य दावों और अन्य दावों के अनुसार वितरित किया

जाना है। , कामगार और अन्य लेनदार। समापन आदेश पारित होने पर, संपूर्ण संपत्ति इसके ट्रस्टी, संरक्षक और प्रबंधक के रूप में आधिकारिक परिसमापक के पास निहित हो जाती है। परिसमापन की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, परिसमापन में कंपनी की सभी संपत्तियों की रक्षा करना कंपनी न्यायालय का वैधानिक दायित्व है, सिवाय इसकी बिक्री आय आदि को सुरक्षित लेनदारों, कामगारों और श्रमिकों के लाभ के लिए वितरित करने के लिए। अन्य लेनदारों और यदि कोई राशि अभी भी शेयरधारकों/अंशदायी सदस्यों के पास बची है।

(25) प्रतिवादी संख्या द्वारा शुरू की गई कार्यवाही। 2 अब तक देनदारों के संबंध में निर्णय की संपत्तियों और परिसंपत्तियों के खिलाफ मान्य हो सकता है, लेकिन प्रतिवादी संख्या की कल्पना के किसी भी विस्तार से नहीं। 2 को कंपनी की संपत्तियों को (परिसमापन में) लेने या बेचने की अनुमति दी जा सकती है, बिना कंपनी के ऋणी होने के अलावा निर्णय ऋणी होने के अलावा।

(26) चूँकि इसे प्रतिवादी संख्या के संज्ञान में लाया गया है। 2 कि जिस संपत्ति को कुर्क करने की मांग की गई है वह कंपनी (परिसमापन में) की है और प्रतिवादी नं. 2 ने पहले ही आधिकारिक परिसमापक को नोटिस जारी कर दिया है, कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले (परिसमापन में) आधिकारिक परिसमापक को अवसर दिए बिना संपत्ति बेचने का कोई व्यवसाय नहीं है और उसे संपत्ति की कुर्की और बिक्री पर आपत्ति करने का पूरा अधिकार है। कंपनी (परिसमापन में)। भले ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम के प्रावधानों का अत्यधिक प्रभाव है और न्यायाधिकरण/वसूली अधिकारी के पास निर्णय लेने वाले देनदार की संपत्ति और परिसंपत्तियों से निपटने के लिए विशेष क्षेत्राधिकार है, लेकिन फिर भी उसके पास कानून के तहत कोई अधिकार नहीं है। यहां तक कि बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम के कारण ऋणों की वसूली के प्रावधानों के तहत परिसमापन में कंपनी की संपत्ति से निपटने के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष पार्टी या निर्णय देनदार नहीं है और उस सीमा तक, यह न्यायालय एक सीमित क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है कंपनी की संपत्ति की रक्षा करें (परिसमापन में)। कानूनी स्थिति को देखते हुए, मैं प्रतिवादी सं. 2. आधिकारिक परिसमापक को उसके समक्ष कार्यवाही में

एक पक्ष के रूप में शामिल करना और उसे कंपनी की ओर से (परिसमापन में) मामले को पेश करने के लिए उचित और पर्याप्त अवसर प्रदान करना। प्रतिवादी नं. 2 आधिकारिक परिसमापक को सुने बिना कंपनी की किसी भी संपत्ति/परिसंपत्ति (परिसमापन में) को बेचने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक कि वह कंपनी की संपत्ति (परिसमापन में) की स्थिति का प्रश्न तय नहीं कर लेता। आधिकारिक परिसमापक इस न्यायालय को प्रतिवादी संख्या 2 से पहले की कार्यवाही के बारे में सूचित रखेगा।

(27) उपरोक्त निर्देशों एवं टिप्पणियों के साथ यह याचिका निस्तारित की जाती है।

आर .एन .आर .

(1) एआईआर 2000 एस.सी. 1535

(2) एआईआर 1955 एस.सी. 74

(3) 2003 कंपनी मामले 562

(4) (2006) 4 एससीसी 36

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Sakshi Gupta

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy